


-आदेश-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में प्रार्थी मदनसिंह पुत्र केहरसिंह के शक्य पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं० 29/26, चक 10 जेएसएल के खाता सं० 42/40, चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 45/35 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. स.	ग्राम/चक/प टवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	चक 6 जेएसएल	29/26	मदन पुत्र केहरसिंह	मदन सिंह पुत्र केहरसिंह
2	10 जेएसएल	42/40	मदन पुत्र केहरसिंह	
3	चक 11 जेजीडब्ल्यू	45/35	मदन पुत्र केहरसिंह	

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
दिनांक :- 25/07/24

क्रमांक:- सम/2024/387-89

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. रोहताश कुमार पुत्र मनफुल को सूचनार्थ।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

